P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-I* ISSUE- VIII* November- 2016
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

# महिलाओं के विरुद्ध अपराध : एक विश्लेषण

**श्रमवीर सिंह कुशवाह**
वरिष्ठ प्रवक्ता,
समाजशास्त्र विभाग,
आर0बी0एस0 कॉलेज,
आगरा

**सारांश**

अपराध को कभी समाज द्वारा स्वीकार नही किया गया है। अपराध पुरूष एवं महिला दोनों के विरुद्ध होते है पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों मे उन अपराधों को सम्मिलित किया जाता है जो केवल महिलाओं के विरुद्ध होते है। भारतीय दण्ड संहिता और विशिष्ट एवं स्थानीय विधियों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अपराधों को निर्धारित किया गया है। महिलाओं को बलात्कार, बलात्कार के प्रयास, अपहरण, हत्या, यौन उत्पीड़न, छेड़खानी, क्रूरता, अनैतिक व्यापार, अशिष्ट चित्रण, घरेलू हिंसा जैसे अनेक अपराधों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के निवारण एवं महिला संरक्षण की दिशा में अनेक प्रयास किये गये हैं। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के कारणों को पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक क्षेत्रों में तलाशने होंगे।

**मुख्य शब्द :** अपराध, हिंसा, बलात्कार, अपहरण, व्यपहरण दुष्प्रेरण, दहेज, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल, अनैतिक व्यापार, अशिष्ट चित्रण, घरेलू हिंसा, निवारण, संरक्षण, दुर्व्यवहार, व्यवहार प्रतिमान।

**प्रस्तावना**

अपराध समाज की वास्तविकता है। प्रत्येक समाज का उद्देश्य रहता है कि समाज में कम से कम अव्यवस्था हो। अपराध सदैव से सामाजिक व्यवस्था के समक्ष चुनौती रहा है। भारतीय समाज भी इससे अलग नही है। भारत में महिलाओं की प्रस्थिति भले ही प्राचीन काल में उन्नत रही हो पर वर्तमान में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के प्रति अनेक प्रकार की आपराधिक घटनाएं सुनाई देती रहती है। क्या घर, क्या बाहर महिलाएं अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करतीं। समाज के संतुलित विकास एवं प्रगति के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए।

**महिलाओं के प्रति अपराधों की अवधारणा**

अपराध शब्द के कई अर्थ जैसे दंड योग्य कर्म, दोष, गलती, जुर्म, पाप प्रचलित हैं।[1] इसका अंग्रेजी भाषा का समानार्थक शब्द Crime है जो कि लैटिन भाषा के Crimen शब्द से बना हुआ है। जिसका आशय 'विलगाव' होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में अपराध एक ऐसा कार्य है जो समाज द्वारा स्वीकार्य नहीं है।[2] लेकिन वैधानिक दृष्टि से किसी भी देश के विरुद्ध किया गया कार्य ही अपराध है, जिसके लिए राज्य दण्ड की क्षमता रखता है।[3] महिलाओं के प्रति कारित होने वाले अपराधों को अनेक संज्ञाओं से जाना जाता है। जैसे महिला उत्पीड़न, महिला शोषण, महिलाओं के प्रति हिंसा। समाजशास्त्रियों एवं अपराधशस्त्रियों ने अपने लेखन में जो भी महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, उन्हें महिलाओं के प्रति हिंसा पदावली के रूप में व्यक्त किया गया है।[4]

यदि देखा जाए तो समाज में अपराध की घटनाएं समाज की वास्तविकता है। समाज में सभी लोगों के प्रति अपराध कारित होते रहते है। पुरूषों के समान महिलायें भी हत्या, छीनाछपटी, लूट, छलकपट आदि का शिकार होती रहती हैं। पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के अन्तर्गत उन्हीं अपराधों पर विचार होता है जो विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध ही कारित होते है। इस तरह से, महिलाओं के विरुद्ध अपराध से तात्पर्य भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य विशिष्ट एवं स्थानीय विधियों के अन्तर्गत दण्डनीय ऐसे अपराधों से हैं जो विशेष रूप से मात्र महिलाओं के विरुद्ध कारित किये जाते है।[5]

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरों निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराधों के आंकड़ों को एकत्रित करता है।

**भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध**

1. बलात्कार (भा0द0सं0 की धारा 376)
2. बलात्कार का प्रयास (भा0द0सं0 की धारा 376/511)

3. महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण (भा0द0सं0 की धारा 376,364, 364A, 366
i. अपहरण एवं व्यपहरण (भा0द0सं0 की धारा 363)
ii. हत्या के लिए अपहरण एंव व्यपहरण
iii. फिरौती के लिए अपहरण एंव व्यपहरण
iv. विवाह के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण एवं व्यपहरण
v. अन्य कारणों से अपहरण एवं व्यपहरण
4. दहेज हत्याएं (भा0द0सं0 की धारा 304B)
5. महिलाओं पर उनके लज्जा भंग के इरादे से हमला (भा0द0सं0 की धारा 354)
i. यौन उत्पीड़न (भा0द0सं0 की धारा 354A)
ii. महिला को विवस्त्र करने के लिए हमला (भा0द0सं0 की धारा 354B)
iii. महिलाओं को घूर कर देखना (भा0द0सं0 की धारा 354C)
iv. महिला या लड़की का पीछा करना (भा0द0सं0 की धारा 354D)
6. शब्द, अंग विक्षेप या कार्य द्वारा महिलाओं की लज्जा का अनादर (भा0द0सं0 की धारा 509)
i. कार्यालय में
ii. अन्यकार्य स्थल पर
iii. सार्वजनिक यातायात में
iv. अन्य
7. पति और उसके नातेदार द्वारा क्रूरता (भा0द0सं0 की धारा 498A)
8. विदेश से लड़की का आयात (21 वर्ष तक की आयु 498 A) (भा0द0सं0 की धारा 366)
9. आत्महत्या के लिय दुष्प्रेरण(भा0द0सं0 की धारा 306 )

**विशिष्ट एवं स्थानीय कानूनों के अन्तर्गत अपराध**

1. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
2. दहेज निरोधक अधिनियम, 1961
3. सती अधिकार निवारण अधिनियम, 1987
4. महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निवारण) अधिनियम, 1986
5. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

**तालिका–1**

**वर्ष 2010–2014 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या**

| क्र0स0 | अपराध की प्रकृति | वर्ष | | | | | 2013–14 के बीच प्रतिशत अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1 | भा0द0सं0 अंतर्गत | 205009 | 219142 | 235896 | 295896 | 325329 | 9.9 |
| 2 | विशिष्ट.एवं स्थानीय कानूनों के अंतर्गत | 8576 | 9508 | 11742 | 13650 | 12593 | -7.7 |
| | कुल | 213585 | 228650 | 244270 | 309546 | 337922 | 9.2 |

**स्त्रोत**– क्राइम इन इंडिया–2014, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो

तालिका–1. से स्पष्ट है कि भा0द0सं0 के अंतर्गत आने वाले अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है लेकिन विशिष्ट एवं स्थानीय कानूनों के अंतर्गत होने वाले अपराधों में वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में 7.7 प्रतिशत की कमी आई है।

**तालिका 2**

**भा0द0सं0 अन्तर्गत कुल अपराधों में से महिलाओं के विरुद्ध अपराध का प्रतिशत**

| क्र.स. | वर्ष | भा0द0सं0 के अंतर्गत कुल अपराध | महिलाओं के विरुद्ध अपराध ( भा0द0सं0 के मामले) | भा0द0सं0 के अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराध का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | 2224831 | 213585 | 9.6 |
| 2 | 2011 | 2325575 | 219142 | 9.4 |
| 3 | 2012 | 2387188 | 244270 | 10.2 |
| 4 | 2013 | 2647722 | 295896 | 11.2 |
| 5 | 2014 | 2851563 | 325327 | 11.4 |

**स्त्रोत** : क्राइम इन इंडिया 2014, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो

**टिप्पणी :** 2011 की तुलना में 2014 में अपराधों के शीर्षकों में वृद्धि हुई है।

तालिका क्रमांक–2 से स्पष्ट है कि कुल अपराधों में से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक निरन्तर वृद्धि हो रही है।

**महिलाओं के विरुद्ध अपराध**

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2014 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध कुल 337922 आपराधिक घटनाएं घटित हुई जिसमें 321993 घटनाएं राज्यों में एवं 15929 घटनाएं संघ क्षेत्रों में घटित हुई। उ0प्र0 मे सर्वाधिक घटनाएं 38467 हुईं। इसके बाद पश्चिम बंगाल (38299 घटनाएं) एवं राजस्थान (31151 घटनाएं) का स्थान रहा। संघ क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2014 के दौरान 15265 मामले दर्ज हुए। वर्ष 2014 में महिलाओं के विरूद्ध संज्ञेय अपराधों की दर राज्यों एवं संघ क्षेत्रों में क्रमशः 54.7 एवं 144.3 रही जबकि सम्पूर्ण भारत में यह दर 56.3 रही। वर्ष 2014 में राज्यों में सबसे अधिक असम में 123.4 एवं संघ क्षेत्रों में दिल्ली (संघ क्षेत्र) 169.1 रही।

1. भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत धारा 376 में दण्डनीय एवं धारा 375 में बलात्कार एक परिभाषित अपराध है तथा गंभीरतम अपराधों की श्रेणी में आता है।[6] नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरों के क्राइम इन इंडिया– 2014 के अनुसार वर्ष 2014 में भा0द0सं0 की धारा 376 के अन्तर्गत 36735 मामले (यौन

आक्रमण से बच्चों का बचाव अधिनियम, 2012 के अतिरिक्त) दर्ज हुए। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में बलात्कार के मामलों में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2014 में देश में कुल बलात्कार के प्रकरणों में सर्वाधिक 14 प्रतिशत मध्य प्रदेश में हुए। मध्य प्रदेश में 5076, राजस्थान में 3759 एवं उ0प्र0 में 3467 मामले सामने आए। सबसे अधिक बलात्कार की दर मिजोरम में 23.7 रही जबकि इसकी राष्ट्रीय दर 6.1 रही।

रक्त संबंधियों द्वारा किए गये बलात्कार के मामलों में वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में 25.7 प्रतिशत वृद्धि देखी गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2014 में पहली बार अभिरक्षा में बलात्कार से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। अभिरक्षा में बलात्कार से आशय पुलिस, चिकित्सालय, न्यायिक हिरासत में बलात्कार है। सबसे अधिक अभिरक्षा में बलात्कार की घटनाएं उ0प्र0 (189 घटनाएं) में हुईं। जिसमें 5 समूह बलात्कार एवं शेष 184 दीगर बलात्कार की घटनाएं थीं। देश भर में अभिरक्षा में बलात्कार के कुल 197 मामले सामने आए। वर्ष 2014 में देशभर में बलात्कार के प्रयास के 4234 मामले दर्ज हुए। इस तरह के सर्वाधिक प्रकरण पश्चिम बंगाल (1656 मामले) में दर्ज हुए।

यदि देखा जाए तो बलात्कार के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते। भारत जैसे मान्यतावादी एवं मर्यादा वाले देश में सामाजिक प्रताड़ना, निष्कासन व उपेक्षा के भय से बलात्कार के प्रकरणों को दबाया जाता है। कई मामलों में बदनामी के भय से पुलिस में रिपोर्ट तक नही लिखायी जाती।[7] लेकिन कई बार लचर कानून व्यवस्था के कारण से अपराधी बच निकलते है।

2. अपहरण एवं व्यपहरण के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यों के लिए महिलाओं अथवा लड़कियो के अपहरण एवं व्यपहरण के अपराध आते है।[8] इसके अन्तर्गत हत्या, फिरौती एवं विवाह हेतु महिलाओं का अपहरण व्यपहरण किया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरों के क्राइम इन इंडिया 2014 के अनुसार वर्ष 2014 के दौरान अपहरण एवं व्यपहरण के 57311 मामले दर्ज हुए। 2013 की तुलना में 2014 में इस तरह के अपराधों में 10.5 प्रतिशत वृद्धि हुई।
3. भारत में दहेज हत्याओं की स्थिति अति भयावह है। दहेज की वजह से प्रतिवर्ष कई महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं या उनकी हत्या कर दी जाती है।[9] नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया 2014 के अनुसार देशभर में वर्ष 2014 के दौरान 8455 घटनाएं घटित हुईं। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में दहेज हत्या में 4.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 2014 में देश की कुल दहेज हत्याओं में से उ0 प्र0 में 29.2 प्रतिशत दहेज हत्याएं हुई एवं यहां 2469 प्रकरण दर्ज हुए।
4. महिलाओं का सम्मान करना हर नागरिक का कर्त्तव्य है। लेकिन आए दिन महिलाओं पर उनके लज्जा हनन के लिए हमले होते रहते है। महिलाओं पर उनके लज्जा हनन के हमले गंभीर अपराध है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2014 के अनुसार वर्ष 2014 में इस तरह के 82235 अपराध सामने आए। वर्ष 2014 में वर्ष 2013 की तुलना में संबंधित अपराधों में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यौन उत्पीड़न (भा0द0सं0 की धारा 354A) से संबधित ऑकड़ो को सर्वप्रथम 2014 से ही एकत्रित किया गया। वर्ष 2014 में यौन उत्पीड़न से संबंधित 21938 मामले दर्ज किए गये। सबसे अधिक यौन उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश (4435) में दर्ज हुए। वर्ष 2014 में महिलाओं को विवस्त्र करने के हमलों की 6412 घटनाएं, 674 छेड़खानी एवं 4699 पीछा करने की घटनाएं घटित हुईं।
5. भा0द0सं0 के अन्तर्गत शब्द, अंग विक्षेप या कार्य द्वारा महिलाओं की लज्जा का अनादर एक अपराध है। नेशनल क्राइम ब्यूरों के क्राइम इन इंडिया 2014 के अनुसार वर्ष 2013 की तुलना में 2014 में इस तरह के अपराधों में 29.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। वर्ष 2013 में 12589 मामले दर्ज हुए जो वर्ष 2014 में घटकर 9735 रह गए। वर्ष 2014 में हुए 9735 में से कार्यालय परिसर में 57, अन्य कार्य स्थला पर 469, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था में 121 एवं अन्य स्थानों पर 9088 प्रकरण दर्ज हुए।
6. भा0द0सं0 की धारा 498A के अनुसार पति एवं उसके नातेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता करना एक अपराध है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों के क्राइम इन इंडिया 2014 के अनुसार वर्ष 2013 की तुलना में 2014 में इस तरह के अपराधों में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2013 में 118866 एवं वर्ष 2014 में 122877 घटनाऐं घटित हुई। वर्ष 2014 में सबसे अधिक मामले पश्चिम बंगाल (23278 मामले) में हुए। असम में सबसे अधिक क्राइम रेट 62.1 दर्ज हुई। जबकि राष्ट्रीय दर 20.5 रही।
7. विदेशों से महिलाओं के आयात भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के अपराधों में 58 प्रतिशत की कमी देखी गई। वर्ष 2013 में जहॉ 31 मामले आए थे वही 2014 में 13 मामले सामने आए।
8. आत्महत्या समाज की एक बड़ी समस्या है। कई महिलाओं को आत्महत्या करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामलों से संबंधित आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा सर्वप्रथम 2014 में एकत्रित किए गए। इस तरह के 3734 मामले सामने आए। सबसे अधिक आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले महाराष्ट्र (986 मामले) सामने आए।
9. दहेज प्रथा भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित थी। कालांतर में यह एक कुप्रथा बनती चली गयी। दहेज निरोधक अधिनियम पारित होने के बावजूद भी यह अभी भी समाज में व्याप्त है।[10] दहेज निरोधक अधिनियम 1 जुलाई 1961 से प्रभावी हुंआ। इस अधिनियम, के संबंध में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि 'दहेज प्रथा की सामाजिक समस्या व कुरीति को कानून मात्र से हल नहीं किया

जा सकता। इस समस्या का अन्य रीतियों से भी निदान खोजना होगा। परंतु विधायन भी जरूरी है। ताकि इस समस्या से निपटा जा सके और समाज में सन्देश जा सके कि दहेज की मांग के विरूद्ध विधि का निषेध है और ऐसा करना अनुचित है।[11] नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया 2014 के अनुसार दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अन्तर्गत वर्ष 2013 में 10709 प्रकरण दर्ज हुए। वहीं 2014 में 10050 प्रकरण दर्ज हुए। इस प्रकार के अपराधों में 6.2 प्रतिशत की कमी देखी गई। सबसे ज्यादा प्रकरण वाले राज्यों में बिहार (2203 मामले) उत्तर प्रदेश (2133 मामले) और कर्नाटक (1730 मामले) रहे। इस तरह के मामलों में वर्ष 2014 में सर्वाधिक क्राइम रेट झारखण्ड (9.6) की रही जबकि राष्ट्रीय दर 1.7 थी।

10. महिलाओं एवं लड़कियों का अनैतिक व्यापार सदैव समाज के लिए बुराई एवं न्याय प्रशासकों के लिए चुनौती रहा। इस विश्वव्यापी समस्या के निराकरण के लिए 9 मई 1950 को न्यूयार्क में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। जिसमें भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। इसी के परिणामस्वरूप 'स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956' पारित किया गया। सन् 1986 के संशोधन द्वारा इसका शीर्षक बदलकर अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम कर दिया गया।[12] नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2014 में केवल महिलाओं से संबंधित मामलों की संख्या 2070 दर्ज की गई। सबसे अधिक मामले तमिलनाडु (471 मामले) थे।
11. समाज में महिलाओं की छवि धूमिल करने वाले चित्रों अथवा लेखों के प्रकाशन को अपराध घोषित करने हेतु महिलाओं के अशिष्ट चित्रण (निवारण) अधिनियम, 1986 बनाया गया।[13] नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरों के क्राइम इन इंडिया 2014 के अनुसार वर्ष 2014 में इस तरह के 47 मामले एवं वर्ष 2013 में 362 मामले दर्ज हुए। इस तरह से, इस प्रकार के अपराधों में 87 प्रतिशत की गिरावट आयी। वर्ष 2014 में राजस्थान में सबसे अधिक 18 मामले दर्ज हुए।
12. यद्यपि पति और उसके संबंधियों द्वारा निर्दयता के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रभावी कानून था पर फिर भी महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़न में कोई कमी देखी नहीं जा रही थी। अतः महिलाओं के प्रति होने वाले इन उत्पीड़नों को कम करने के लिए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 पारित किया गया।[14] इस अधिनियम के अन्तर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार एवं आर्थिक दुर्व्यवहार को सम्मिलित किया गया है।[15]

**कारण**

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के कारण निम्नवत् है।[16]

1. विभिन्न समितियों, संस्थाओं की संरचना एवं प्रकार्यो में परिवर्तन।
2. आज के भौतिकवादी युग में आदर्शो एवं मूल्यों में परिवर्तन आ गया है। मूल्यों में तेजी से गिरावट आयी है।
3. आज तनावपूर्ण वातावरण हो गया है। लोगों के व्यवहार प्रतिमानों में अंतर आ रहा है।
4. मनोव्याधिकीय व्यक्तित्वों की वृद्धि हो गयी है।
5. कई बार व्यक्ति दुर्बल स्वास्थ्य एवं यौन संबंधी असंतुष्टि की वजह से भी अपराध करता है।
6. पति एवं पत्नी के सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि एवं स्वभाव में अंतर की वजह से कई पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
7. वर्तमान युग संचार का युग है। कई बार अपराधी संचार माध्यमों से सीखकर अपराध कर बैठता है।
8. औद्योगीकरण एवं नगरीकरण ने भी अपराधों में वृद्धि की है। कार्यस्थलों पर महिलाओं का उत्पीड़न एक बड़ी समस्या है।
9. भौतिकवादी सोच ने भी अन्य अपराधों के साथ महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में वृद्धि की है।

**हिंसा से पीड़ित महिलाएं**

सामान्य तौर पर अपराधी उन महिलाओं को निशाना बनाता है जो असहाय एवं अवसादग्रस्त होती है। साथ में वे अपनी नजर में खुद को गिरी हुई समझती हैं। कई बार महिलाओं का पारिवारिक वातावरण भी सामान्य नहीं होता। इन पर दबाव होता है, जिसका फायदा अपराधी उठा लेते हैं। ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनमें महिलाओं में सामाजिक परिपवक्ता या अन्तर वैयक्तिक दक्षताओं में कमी होती है।यदि पति या ससुराल वाले विकृत मस्तिष्क के हो या पति आदतन शराबी हो तो ऐसी महिलाओं के प्रति हिंसा होना आम है।[17]

**हिंसा के अपराधकर्ता**

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा करने वाले व्यक्ति निम्न सात प्रकार के हो सकते है।[18]

1. अवसादग्रस्त व्यक्ति।
2. मनोरगी।
3. संसाधनों, दक्षताओं एवं प्रतिभाओं से रहित व्यक्ति और जिनका समाज वैज्ञानिक रूप विकृत होता है।
4. जिनकी प्रकृति मलिकानापन,सनकीपन एवं प्रभुतावादी हो।
5. जिनका जीवन तनावग्रस्त हो।
6. बचपन से हिंसा का शिकार हो।
7. बहुत मदिरापान करता हो।

**निष्कर्ष**

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि अपराध एक सामाजिक तथ्य है। वर्तमान में, महिलाओं के विरुद्ध अनेक प्रकार के अपराध हो रहे हैं। इसके पीछे हमारे समाज की पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। यद्यपि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने, निवारण करने एवं महिलाओं के संरक्षण हेतु अनेक प्रयास किए गये हैं परन्तु अभी वांछित लक्ष्य दूर है। इसके लिए समाज की सभी सामाजिक, वैधानिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं को मिलजुल कर प्रयास करना होगा तभी महिलाओं के लिए भयमुक्त वातावरण तैयार हो सकता है।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची**

1. दीक्षित, कृष्णकान्त (संकलनकर्त्ता), उपाध्याय, सूर्यनारायण (संकलनकर्त्ता) 'अमर मानक विशाल हिन्दी शब्दकोश' कमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 74
2. बघेल, डॉ0 डी0 एस0 (2015) 'अपराधशास्त्र' विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 65
3. वही, पृ0 67
4. अग्रवाल, डॉ0 अमित (2013) 'भारतीय सामाजिक समस्यायें' विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 170
5. चौहान, डॉ0 एम0 एस0 (2012) 'अपराधशास्त्र', दण्ड प्रशासन एवं पीड़ितशास्त्र' सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, पृ0 146
6. वही, पृ0 147
7. महाजन, डॉ0 धर्मवीर, महाजन, डॉ0 कमलेश (2013) 'अपराधशास्त्र' विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 226
8. चौहान, डॉ0 एम0 एस0 (2012) 'अपराधशास्त्र', दण्ड प्रशासन एवं पीड़ितशास्त्र' सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, पृ0 147
9. शर्मा, डॉ0 अर्चना (2015) 'संघर्षरत महिलाएं : चुनौतियां एवं समाधान' प्रतियोगिता दर्पण, आगरा, मई, पृ0 73
10. परांजपे, डॉ0 ना0 वि0 (2011) 'अपराधशास्त्र एवं दण्डशास्त्र' सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, पृ0 145
11. पाण्डेय, डॉ0 मधु (2012) 'महिलाएं एवं अपराध विधि' सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, पृ0 70
12. परांजपे, डॉ0 ना0 वि0 (2011) 'अपराधशास्त्र' एवं दण्डशास्त्र' सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, पृ0 137
13. चौहान, डॉ0 एम0 एस0 (2012) 'अपराधशास्त्र, दण्ड प्रशासन एवं पीड़ितशास्त्र' सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद पृ0 147
14. वही, पृ0 147–148
15. शर्मा, जी0 एल0 (2015) 'सामाजिक मुद्दे' प्रेम रावत, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ0 431
16. बघेल, डॉ0 डी0 एस0 (2015) 'अपराधशास्त्र' विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 163–164
17. आहूजा, राम (2004) 'सामाजिक समस्याऐं' श्रीमती प्रेम रावत, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ0 245–246
18. वही, 246